:: समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र. ::

प्रकरण क्रमॉक– /2014 पुनरीक्षण R-1467-I/14

हंसराज पिता काशीराम आयु 38वर्ष जाति माली निवासी–ग्राम पिपलू तहसील बडनगर, जिला उज्जैन म.प्र. ———— आवेदक

विरूद्ध

1.घनश्याम पिता **लालजी** आयु 50 वर्ष,
2.कन्हैयालाल **पिता लालजी** आयु 48 वर्ष,
3.लीलाबाई पति **रतनलाल** जाति अहीर,आयु 50 वर्ष, निवासीगण–**ग्राम** पिपलू तहसील – बडनगर, जिला **उज्जैन** म.प्र.
————अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

न्यायालय तहसीलदार महोदय, बडनगर, जिला **उज्जैन** द्वारा प्रकरण क्र. 07 अ–13/2012–13 मे पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 07/02/**2014** जिसके द्वारा उन्होने विवादित रास्ता प्रकरण के अंतिम निराकरण तक खुला **कराया गया** है, के विरूद्ध यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यो के प्रकाश मे प्रस्तुत है –

!! प्रकरण के तथ्य !!

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आवेदक व अनावेदकगण ग्राम **पिपलू** के निवासी है तथा अनावेदकगण द्वारा आवेदक के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय मे एक **आवेदन अंतर्गत** धारा 131 तथा धारा 32 म.प्र.भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत करते हुये बताया कि **भूमि सर्वे** नम्बर 231 अनावेदक क.01, 232 अनावेदक क.02, तथा 235 अनावेदक क.03 की **पिपलू** मे स्थित होना तथा उपरोक्त भूमि पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम पिपलू से **निकल कर ग्राम** पायकुन्डा के शासकीय रास्ते से होते हुये आगे **बीड से** होते हुये आवेदक की **उत्तर दिशा की भूमि** के सेडे से होकर पैदल जाने का एकमात्र रास्ता **बताया** तथा अधिनस्थ **न्यायालय के समक्ष एक** आवेदन अवैध रूप से नया रास्ता **निकालने का** प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ **न्यायालय ने** दिनॉक 07/02/2014 को पारित आदेश **द्वारा** अपने आदेश मे यह उल्लेख **किया गया है कि** अनावेदक क.01 द्वारा अपना **जबाब पेश नही किया** गया है तथा अनाावेदकगण **को कथित** रूप से आवेदकगण द्वारा **अवरूध किया गया** रास्ता खुला कराये

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1467-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	